

नव भारत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिए निर्णय

5 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा संपूर्ण लाभ

भोपाल, 4 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, खेल अधोसंरचना और डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने वाले कई अहम फैसले लिए गए.

बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनकल्याण से जुड़े कुल 32 हजार 70 करोड़ रुपये की योजनाओं एवं प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई. बैठक में सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को स्वीकृति दी गई, जिससे करीब 5 हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. यह योजना उन किसानों के लिए है.

योजना के तहत ऐसे किसानों को दोबारा मुख्यधारा में लाकर नए ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी. प्रभावित किसानों की सहायता के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा 50 करोड़ रुपये तक की निधि बनाई जाएगी, जबकि राज्य सरकार किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता उपलब्ध कराएगी. मंत्रि-परिषद ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी बड़ी राशि



32,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव किए पारित	50,000 करोड़ की किसान निधि की जाएगी निर्मित	2,460 करोड़ युवा एवं खेल अधोसंरचना के लिए मंजूर	1,999 करोड़ मंजूर डिजिटल सेवाओं को गति देने के लिए
--	---	---	--

स्वीकृत की है. जिला एवं सिविल अस्पतालों तथा औषधालयों के संचालन के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक 12 हजार 517.99 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 11 हजार 812.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.

किसको क्या मिला ...

बैठक में मलेरिया सहित अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए 1 हजार 704.81 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई. इसके तहत रोग नियंत्रण, कीटनाशक व्यवस्था और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा. युवाओं और खिलाड़ियों के लिए खेल अधोसंरचना विस्तार योजना को भी स्वीकृति मिली है. प्रदेश में स्ट्रेडियम और खेल सुविधाओं के विकास के लिए 2 हजार 460 करोड़ 57 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे जिला मुख्यालयों और विकासखंड स्तर पर खेल सुविधाओं का विस्तार होगा तथा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारियों में मदद मिलेगी. डिजिटल सेवाओं को गति देने के लिए स्टेट डाटा सेंटर के उन्नयन, संचालन और रखरखाव के लिए 1 हजार 99 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई. इससे सरकारी विभागों की ऑनलाइन सेवाएं अधिक सुरक्षित और प्रभावी होंगी.

एक नजर में भस्मरती के प्रभारी व सहायक को हटया

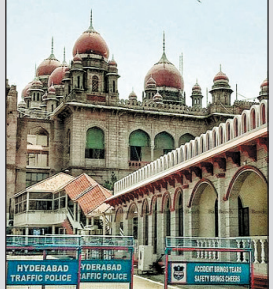
उज्जैन. श्राण के पहले सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं की भस्मरती में भीड़ के चलते उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह महाकाल मंदिर में आनक अल सुबह ही निरीक्षण करने पहुंच गए थे. उन्हें वहां काफी गड़बड़ियां मिली थी. मंगलवार को कार्रवाई सामने आई जब मंदिर समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने आदेश जारी कर भस्मरती के प्रभारी व सहायक को हटा दिया. कलेक्टर सिंह प्रशासन व मंदिर समिति के अधिकारियों के साथ भस्मरती के प्रवेश द्वार पर पहुंचे थे. जब उन्होंने यहां तैनात समिति के कर्मचारियों से जानकारी ली तो वे संतुष्ट जनक जवाब नहीं दे पाए थे.

केन्द्रों की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त सीहोर. कलेक्टर बालगुरु के द्वारा मृग उपार्जन केन्द्रों के सुचारु संचालन, खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर निर्देश दिए हैं कि नियुक्त नोडल अधिकारी अपने-अपने प्रभार वाले उपार्जन केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें तथा किसानों को मृग विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न होने दें. किसानों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. किसी भी अनियमितता या व्यापारियों द्वारा किसानों के नाम पर मृग विक्रय करने की शिकायत मिलने पर जांच की.

आरोप-प्रत्यारोप नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त किया गया नामांकन

मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर नोटिस जारी

जबलपुर, 4 अगस्त. मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य प्रत्याशी के रूप में दायर किया गया नामांकन निरस्त किये जाने के खिलाफ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने हाईकोर्ट में चुनाव दायर दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितम्बर को निर्धारित की गयी है। कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन की तरफ से दायर की गयी चुनाव याचिका में कहा गया था कि तेलंगाना की एक अदालत में महिला द्वारा दायर



रिटनिंग ऑफिसर के द्वारा उनका नामांकन नियम विरुद्ध तरीके से निरस्त किया गया है. जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. याचिका में मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सदस्य तरुण चुध, राजेश्वरी कुमार अग्रवाल, महेश केवट, केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त, रिटनिंग अधिकारी प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधान सभा तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य चुनाव आयोग को अनावेदक बनाया गया है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता व आर्यन गुप्ता ने पैरवी की.

सागर में बुजुर्ग ससुर ने ही बहू की चाकू मारकर की हत्या

सागर, 4 अगस्त. मध्यप्रदेश में सागर जिले के मकरोनिया थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान एक बुजुर्ग ससुर द्वारा अपनी बहू की चाकू मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार मकरोनिया थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-07 स्थित गायत्री नगर निवासी सविता उर्फ शिवानी दीक्षित (42) अपने दो बच्चों के साथ रहती थीं. उनके

पति देवेश दीक्षित बीएसएफ में पश्चिम बंगाल में पदस्थ हैं. मंगलवार सुबह एक बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सविता का उनके 70 वर्षीय ससुर रामनरेश दीक्षित से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित रूप से चाकू से बहू पर कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय भेज दिया. पुलिस ने आरोपी ससुर को अभिरक्षा में लेकर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दतिया उपचुनाव हार के बाद भाजपा का एक्शन

नवभारत न्यूज ग्वालियर 4 अगस्त। दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए दतिया जिले का पूरा संगठन भंग कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने उपचुनाव परिणामों की समीक्षा के बाद जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह सहित पूरी जिला कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। इसके साथ ही मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ, प्रकल्प और विभागों की सभी इकाइयों को भी भंग कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं

विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई उपचुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए गठित विशेष समिति की अनुशंसाओं के आधार पर

जिला अध्यक्ष समेत पूरा संगठन भंग

की गई है। पार्टी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दतिया में संगठनात्मक स्तर पर व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा। यह कार्रवाई केवल जिला कार्यकारिणी तक सीमित न होकर जिला पदाधिकारियों,



सूना मिला पीडब्ल्यूडी देवसर का दफ्तर

देवसर. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग देवसर कार्यालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. सोमवार के दिन सरकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय परिसर सूना मिला. कई कक्षों में न तो अधिकारी मौजूद थे और न ही कर्मचारी. दूर-दराज से अपनी शिकायत और कार्य लेकर पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा. इससे विभागीय कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

मैकेनिक को उपयंत्री बनाने पर पीएचई विभाग जांच के घेरे में कलेक्टर को भेजी गलत जानकारी, पीएचई विभाग ईई फिर सवालों में

नवभारत न्यूज सिंगरौली, 4 अगस्त. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एक बार फिर गंभीर विवादों में खिरता नजर आ रहा है. एनटीपीसी विंध्यनगर कॉलोनी में शासकीय आवास आवंटन से जुड़े मामले में विभाग के कार्यपालन यंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर कार्यालय को भेजी गई जानकारी में वास्तविक पदनाम के विपरीत मैकेनिक जेएल पनिका को उपयंत्री दर्शाकर आवास आवंटित करा दिया. अब यह मामला प्रशासनिक अनियमितता से आगे ब ?कर दस्तावेजों में कथित गलत

रीवा-कोलकाता और रीवा-भोपाल विमान सेवा 9 से

- उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने केन्द्रीय मंत्री नाथू से को मुलाकात
- विंध्य क्षेत्र को मिलेगा हवाई कनेक्टिविटी का लाभ

भोपाल, 4 अगस्त. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नाथू से सौजन्य भेंट की.

उन्होंने 9 अगस्त से शुरू होने जा रही रीवा-कोलकाता एवं रीवा-भोपाल (72 सीटर) विमान सेवाओं के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया. उप मुख्यमंत्री



शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में हवाई संपर्क का लगातार विस्तार हो

रहा है. रीवा से शुरू होने वाली नई विमान सेवाओं से विंध्य क्षेत्र में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं को नई गति मिलेगी.

महिला के शव पर चींटियां मिलने से अस्पताल में किया हंगामा

बड़वानी, 04 अगस्त. मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम से पहले एक महिला के शव पर चींटियां रेंगती मिलने ने अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. घटना के बाद संबंधित कर्मचारी को हटा दिया गया तथा मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

सड़क दुर्घटना में घायल 58 वर्षीय मध्याबाई, निवासी नवलपुरा, को रविवार शाम जिला अस्पताल लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम सोमवार सुबह होना था,

इसलिए शव को रातभर अस्पताल में रखा गया. आरोप है कि शव को मॉर्चूरी (शवगृह) में रखने के बजाय पोस्टमार्टम कक्ष में रखा गया. सोमवार सुबह पोस्टमार्टम से पहले जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने शव के कई हिस्सों पर चींटियां रेंगती देखीं. नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया. बड़वानी विधायक के प्रतिनिधि विष्णु बनडे भी अस्पताल पहुंचे. शव को पोस्टमार्टम कक्ष में रखे जाने पर आपत्ति जताते हुए जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की.

22 वर्षीय युवक की हत्या के बाद बवाल

नव भारत न्यूज जावरा, 4 अगस्त. समीपस्थ ग्राम सिंदुराक्रिया में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात एक 22 वर्षीय युवक साहिल उर्फ शाहनवाज की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है.



घटना बड़वदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली हाटपपलिया पुलिस चौकी की है, जहाँ ग्राम पंचायत भवन के पास पुराने कुएँ गुस्सा फूट पड़ा. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने पर वे हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ जावरा स्थित एसडीओपी कार्यालय पहुँच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया. इसके बाद बड़ी

संख्या में लोग फोरलेन पर जमा हो गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ. लगभग ढाई घंटे तक चले इस प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु और नागरिक मौजूद रहे. शहर काजी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा 4 से 5 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार करने का ठोस आश्वासन दिया गया है.

मैकेनिक को उपयंत्री बनाने पर पीएचई विभाग जांच के घेरे में कलेक्टर को भेजी गलत जानकारी, पीएचई विभाग ईई फिर सवालों में

जानकारी देने के आरोपों तक पहुंच गया है. कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी पत्र में जेएल पनिका का पद उपयंत्री, पीएचई विभाग अंकित है, जबकि विभागीय सूत्रों के अनुसार उनका वास्तविक पद मैकेनिक बताया जा रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि मूल अभिलेखों में उनका पद मैकेनिक है तो कलेक्टर कार्यालय तक उपयंत्री के रूप में जानकारी किस आधार पर भेजी गई. जानकारी का कहना है कि यदि किसी शासकीय लाभ के लिए जानबूझकर गलत पदनाम प्रस्तुत किया गया हो तो इसकी विधिक जांच आवश्यक

है. बताया जा रहा है कि जेएल पनिका की मूल पदस्थापना देवसर में मैकेनिक के रूप में है, लेकिन कई वर्षों से उन्हें जिला मुख्यालय स्थित पीएचई कार्यालय में संबद्ध कर रखा गया है. इतना ही नहीं, उन्हें विभाग की कई शाखाओं का प्रभार भी सौंपा गया है. इसे लेकर भी विभाग के भीतर लंबे समय से चर्चाएं होती रही हैं. कलेक्टर ने पिछले माह 22 जुलाई को पीएचई ईई को पत्र जारी कर एनटीपीसी कॉलोनी विंध्यनगर में विभागीय अम्मले को आवंटित आवासो के संबंध में पत्र भेजा है. कलेक्टर के द्वारा जारी पत्र के अनुसार जेएल

इनका कहना .. जेएल पनिका टैविनशियन हैं . ऑफिस में रहने वाली थे और अपने हिसाब से प्रभार सौंपते हैं . इनकी पदस्थापना यही है. टीएस बरकड़े कार्यपालन यंत्री, पीएचई, सिंगरौली

पनिका को 17,865 रुपये की बकाया राशि जमा कराने तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर के पत्र में जेएल पनिका को उपयंत्री पीएचई डिपार्टमेंट पर रखा गया है.

रिटायर्ड आईपीएस सिकरवार से वसूली पर कैंट की रोक

जबलपुर. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैंट से रिटायर्ड आईपीएस डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार को बड़ी राहत मिली है। कैंट ने उनके विरुद्ध निकाली गई वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार सहित एसपी रीवा से जवाब तलब किया है। यह मामला रिटायर्ड आईपीएस डॉ. महेन्द्र सिंह सिकरवार की ओर से दायर किया गया था। अधिवक्ता पंकज दुवे, सुश्री सोनाली पांडे एवं प्रथमेश पगारे पक्ष रखा. आईपीएस डॉ महेंद्र सिंह सिकरवार 2024 में आईजी रीवा के पद से सेवानिवृत्त हुए उनके विरुद्ध अप्रैल 2026 में पुलिस अधीक्षक रीवा के द्वारा 11,61,885 रुपए की वसूली निकाली गई.

दहेज से प्रताड़ित नवविवाहिता ने की आत्महत्या

नवभारत न्यूज ग्वालियर, 4 अगस्त. शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में दहेज की लालसा ने एक और हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया. ससुराल पक्ष की ओर से लगातार मिलने वाली मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से त्रस्त आकर एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली.

पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए मृतका के इंजीनियर पति और अन्य ससुरालजनों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के अनुसार, महाराजपुरा इलाके में कुछ समय पूर्व एक नवविवाहिता की सदिरध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की थी. जांच के दौरान जब पुलिस ने मृतका के मायके पक्ष के बयान दर्ज किए और साक्ष्य जुटाए, तो सनसनीखेज खुलासा हुआ. साक्षी चौधरी की शादी महाराजपुरा इलाके में रहने वाले गजेंद्र सिंह से 14 मई 2025 को हुई थी. शादी की सालगिराह वाले दिन ही उसकी सदिरध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव कमरे में पलंग पर पड़ा मिला था. उसके ससुराल

जांच में सामने आया कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले मृतका को कम दहेज लाने ताना मारते थे और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे. आप दिन उसके साथ भारपीट की जाती थी, जिससे वह गहर मानसिक तनाव में थी. ससुराल पक्ष के इन अत्याचारों और प्रताड़ना से तंग आकर आखिरकार उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

वालों ने मायके पक्ष को सूचना दी थी. मायके पक्ष ने ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप लगाया था. इसके चलते इस मामले में पुलिस ने डाकड़ों के पैन्ल से शव का पोस्टमार्टम कराया था.